

अधिसूचना

एस0ओ0 55/चक दिनांक 23.01.2018 बिहार जोत समेकन एवं खण्डकरण निवारण अधिनियम 1956 (बिहार अधिनियम 22, 1956) की धारा 26(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा यह घोषित करते हैं कि नए नक्शों और अभिलेख तैयार कर लिये जाने और समेकन स्कीम के अधीन रैयतों को अन्तरण प्रमाण पत्र जारी किये जाने के उपरांत इस अधिसूचना की तिथि से इससे सम्बद्ध अनुसूची में वर्णित ईकाईयों (ग्रामों) में जो उक्त अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन अधिसूचित हैं, की समेकन संकियाएं बन्द की जाती हैं।

अनुसूची

क्रमांक	जिला का नाम	अंचल का नाम	मौजा का नाम	थाना नं०
1	कैमूर	चाँद	मोहम्मद पुर	1038
2	कैमूर	चाँद	मोहम्मद पुर	57
3	कैमूर	भगवानपुर	भलुहॉ	721
4	कैमूर	चैनपुर	करवन्दीया	176

बिहार राज्यपाल के आदेश से

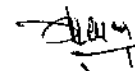

18/01/18

सरकार के अवर सचिव।

एस0ओ0 55/चक दिनांक 23.01.2018 /एस0ओ0

दिनांक का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


18/01/18

सरकार के अवर सचिव।

Revenue & Land Reforms Department

Directorate of Consolidation

Notification

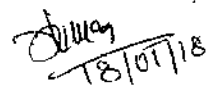
File No. 12/चक0-26(क)-04/2016

S.O 55 /चक0 Dated 23.01.18 In exercise of the powers conferred by section 26(A) of Bihar Consolidation of Holdings and Prevention of Fragmentation Act, 1956 (Bihar Act XXII 1956) the Governor of Bihar is pleased to declare that on preparation of new maps and records and on issue of certificate of transfer to the Raiyats under the scheme the consolidation scheme is being closed with effect from date of this notification in the units (Villages) described in the schedule annexed here to which were notified under section 3(1) of the said Act for consolidation of holdings.

Schedule

Serial no.	Name of District	Name of Anchal	Name Units (Villages)	Revenue Thana no.
1	Kaimur	Chand	Mohammadpur	1038
2	Kaimur	Chand	Mohammadpur	57
3	Kaimur	Bhagwanpur	Bhaluha	721
4	Kaimur	Chainpur	Karvandia	176

By Order of the Governor of Bihar


Under Secretary of Government

ज्ञाप संख्या 55 / , चक0, दिनांक 23.01.2018.

प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/अवर सचिव, गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियाँ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, चकबंदी निदेशालय, भूमि विकास बैंक, चौथी मंजिल, बुद्ध मार्ग, पटना को एवं 25-25 अतिरिक्त प्रतियाँ संयुक्त निदेशक, चकबंदी (मुख्यालय) बिहार, पटना/उप निदेशक, चकबंदी, रोहतास को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजने का कष्ट करें।


सरकार के अवर सचिव।